उत्तर प्रदेश शासन

पर्यटन अनुभाग

संख्या-97/2020/862/41-2020-128(बजट)/2018

लखनऊ दिनांक 28 मार्च, 2020

संख्या-62/2020/434/41-2020-128(बजट)/2018 दिनांक 18 फरवरी 2020

का शुद्धि पत्र

महानिदेशक ,पर्यटन उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक-6503//6-1-1(1)/मु0मं0घो0/201-20 दिनांक 28 फरवरी 2020 द्वारा विधान सभा क्षेत्र श्रीनगर जनपद लखीमपुर खीरी स्थित देवकली मंदिर के पर्यटन विकास कार्य हेतु अवशेष वित्तीय स्वीकृति हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-62/2020/434/41-2020-128(बजट)/2018 दिनांक 18 फरवरी 2020 के पृष्ठांकन के क्रम सं0-4 में मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ /लखीमपुर खीरी के स्थान पर सिर्फ मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ अंकित करने और कार्यदायी संस्था का नाम उ0प्र0 राजकीय निर्माण सहकारी संघ लि0 के स्थान पर -उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 अंकित करते हुये संशोधित आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है।

2. अत: उक्त संस्तुति के क्रम में शासनादेश संख्या-62/2020/434/41-2020-128(बजट)/2018 दिनांक 18 फरवरी 2020 के पृष्ठांकन के क्रम सं0-4 पर अंकित मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ /लखीमपुर खीरी के स्थान पर सिर्फ मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ एवं कार्यदायी संस्था का नाम उ0प्र0 राजकीय निर्माण सहकारी संघ लि0 के स्थान पर -उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 अंकित किया जाता है। तद्नुसार शासनादेश दिनांक 18 फरवरी 2020 उक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है। शासनादेश में अंकित अन्य शर्ते एवं उपबन्ध यथावत रहेंगे।

(ए0पी0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 97/2020/862/41-2020-128(बजट)/2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी, लखीमपुर खीरी।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/ लखीमपुर खीरी ।
5- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
7- संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8- क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, लखनऊ।
9- अधिशासी अभियन्ता ,उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0,निर्माण प्रखण्ड-1 यूनिट लखीमपुर खीरी ।
10- श्री राजा राम वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब-साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।
11- गार्ड-फाइल आज्ञा से

(ए0पी0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in